

**राजस्थान सरकार**  
**सामान्य प्रशासन (गुप-2) विभाग**

क्रमांक :— प.1(1)साप्र/2/21

जयपुर, दिनांक : २५.७.२१

—: आदेश :—

श्री विकास सीतारामजी भाले, आई.ए.एस शासन सचिव, युवा एवं खेल मामलात, शासन सचिवालय, जयपुर को उनकी प्रथम श्रेणी की बरीयता संख्या 13/2021 व रोवानिवृति दिनांक 30.06.2027 के आधार पर निवास हेतु राजकीय आवास आवंटन नियम 27 के प्रावधानान्तर्गत इस विभाग के आदेश दिनांक 08.07.2021 द्वारा आवेदित प्रथम श्रेणी राजकीय आवास संख्या 1/13, गांधीनगर, जयपुर के स्थान पर प्रथम श्रेणी राजकीय आवास संख्या 1/11, गांधीनगर, जयपुर का रिक्त होने की प्रत्याशा में निम्न शर्तों के आधार पर एतदद्वारा आवंटन/परिवर्तन किया जाता है—

शर्ते :-

1. आवास का कब्जा आवंटन/रिक्त होने की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश रखत निरस्त समझा जावेगा।
2. उक्त आदास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अक्षारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
3. सेवानिवृति पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
5. स्थाय तथा पल्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने/क्रय करने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
6. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी— चैक्कि उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(ग)ए के अनुसरण में आदेश प्रसारित होने के आवास रिक्त की तिथि से 8 दिवस में अथवा आवंटन स्वीकार करने के असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुन लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञा हो तो रोक दिया जायेगा।
7. आवंटी को आवेदित राजकीय आवास का कब्जा देने से पूर्व सबैधित अधिशासी अभियन्ता को यह घोषणा करनी होगी—
  1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात आवेदित राजकीय आवास का कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे हैं।
  2. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवेदित राजकीय आवास का कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वयं/पति/पत्नि व उन पर आवित किसी अन्य सदस्य के नाम ये जयपुर में निजी आवास निर्मित/क्रय नहीं किया है।
8. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)  
 डिप्टी चीफ ऑफ प्रोटोकॉल

**प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-**

1. प्रमुख शासन सचिव, कार्मिक विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. जिला कलेक्टर, जयपुर।
3. श्री विकास सीतारामजी भाले, आई.ए.एस शासन सचिव, युवा एवं खेल मामलात, शासन सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि कब्जा लेने से पूर्व इस आवंटन पत्र के पीछे दिये गये प्रपत्र की अपने स्तर पर आवश्यक पूर्ति कर अधिशासी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर खण्ड-तृतीय, जयपुर को सम्बलवाने के पश्चात ही कब्जा प्राप्त करेंगे एवं पूर्व आवेदित राजकीय आवास निर्धारित अवधि में नियमानुसार रिक्त कर विभाग को सूचित करेंगे।
4. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, साप्रवि।
5. संयुक्त सचिव (जीवी), मुख्यमंत्री कार्यालय को उनके आई.डी क्रमांक एफ 21003702 के क्रम में।
6. वित्तीय सलाहकार, कार्मिक (ग) विभाग को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के वेतन से नियमानुसार राजकीय आवास किराया कटौती सुनिश्चित करेंगे।
7. निदेशक, सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आवंटी के कब्जा लेने की तिथि से किराया वसूली कर राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित करावे।
8. मुख्य लेखाधिकारी, सामान्य प्रशासन (गुप-4) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
9. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, शासन सचिवालय, जयपुर।
10. प्रोग्रामर, सामान्य प्रशासन (गुप-3) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर-कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेब साईट पर अपडेट करने का श्रम करावे।
11. सामान्य प्रशासन (गुप-5) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
12. अधिशासी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर खण्ड-तृतीय (मुख्यालय), जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि इस आवंटन पत्र के पीछे दिये गये प्रपत्र की आवश्यक पूर्ति करने के पश्चात ही आवंटन की कार्यवाही सुनिश्चित करावे।
13. अधिशासी अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियानिकी विभाग, राजस्थान, जयपुर।
14. उद्यानविज्ञ, सार्वजनिक निर्माण विभाग, चौकी, गांधीनगर, जयपुर-कृपया उक्त आदेश को कार्यालय ब्लैकबोर्ड पर चर्पा करावे।
15. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग चौकी, गांधीनगर, जयपुर-कृपया उक्त आदेश को कार्यालय ब्लैकबोर्ड पर चर्पा करावे। साथ ही आवंटी के द्वारा कब्जा लेने/रिक्त दिनांक की सूचना निदेशक सम्पदा विभाग, मिनी सचिवालय जयपुर को भी भिजावाये।
16. रक्षित पत्रावली।

डिप्टी चीफ ऑफ प्रोटोकॉल